

-: छात्रवृत्ति सूचना:- दिनांक 16.10.2020

महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए समाज कल्याण द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति पोर्टल खोला गया है छात्रवृत्ति हेतु SC/ST/OBC/EBS (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग से आने वाले छात्र-छात्रायें संलग्न विज्ञापित का अवलोकन करते हुए आवेदन करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ऋषिकेश, देहरादून।

अति आवश्यक/समयवद्ध/ई-मेल

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

1-समस्त निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य,शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थान एवं व्यवसायिक संस्थान/पालिटेक्निक एवं आईटीआई जनपद- देहरादून
2- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून।

पत्रांक/154/सक/दशमोत्तर/2020-21 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन नवीन पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्र सं-1715 दिनांक-14 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त ऑनलाइन छात्रवृत्ति(पूर्वदशम एवं दशमोत्तर) तथा ई0बी0सी0(आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जाति छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना) योजनान्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति के लिए नवीन पंजीकरण (Fresh Registration) छात्र-छात्राओं के आवेदनों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (<https://scholarships.gov.in>) पर पंजीकरण करवाने तथा संस्थान द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (<https://scholarships.gov.in>) 13 अक्टूबर, 2020 से 15 नवम्बर, 2020 तक खोला गया है। ऐसे आवेदन जिनका वर्ष 2020-21 में नवीनीकरण (Renewal) किया जाना था, उन सभी आवेदनों का भी तकनीकी कारणों से 2020-21 में नवीन पंजीकरण (Fresh Registration) किया जाना होगा।

अतः अनुरोध है कि अनुजाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/ई0बी0सी0 (आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जाति छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना) के पात्र छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाते हुये 15 नवम्बर, 2020 तक अद्योहस्ताक्षरी को अग्रसारित करने का कष्ट करें। यदि कोई पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति सं वंचित रह जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की होगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0/ /तददिनांक।

- प्रतिलिपि-1- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- निदेशक, महोदय समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।
3- निदेशक, महोदय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4- मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी सभी प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।